न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

...ना–पत्र संख्या :–156/2023
GCMS NO:- 2023/268

दायर दिनांक– 03.07.2023
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

1. प्रहलाद आ0 रतनलाल जाति माली नि0 सहण तहसील नैनवॉ।
2. बजरंगी पत्नी प्रहलाद जाति माली नि0 सहण तहसील नैनवॉ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. भूस्वामी जर्ये तहसीलदार साहब नैनवॉ।
2. प्रभूलाल आ0 गोरधन जाति माली नि0 सहण तहसील नैनवॉ।
3. भंवरलाल आ0 धन्नालाल जाति माली नि0 सहण तहसील नैनवॉ।
4. मुकेश आ0 गोपाल जाति माली नि0 सहण तहसील नैनवॉ।
5. महावीर आ0 गोपाल जाति माली नि0 सहण तहसील नैनवॉ।
6. रमेश आ. गोपाल जाति माली नि0 सहण तहसील नैनवॉ।
7. श्रवण आ0 गोरधन जाति माली नि0 सहण तहसील नैनवॉ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 111, 128 एल आर एक्ट

उपस्थितिः–
प्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक श्री महावीर कारपेन्टर।

निर्णय दिनांक 30.5.2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम सहण प0म0 सहण मे स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1644/537, 422, 424, 426, 453, 555 कुल किता 6 कुल रकबा 3.9803 हैक्टयर है जिसका प्रार्थी संख्या 1 एकमात्र खातेदार आसामी है तथा ग्राम सहण के खसरा नम्बर 427, जो प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 7 के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे की भूमि है जिसमे प्रार्थी संख्या 1 का हिस्सा 7/12 व प्रार्थी संख्या 2 का हिस्सा 1/8 निहित है एवं शेष हिस्से पर अप्रार्थीगण अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। यह कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 व 2 मे वर्णित अपनी भूमि के चारों तरफ डोल लगाकर पत्थरगढी करवाना चाहते है क्योंकि मौके पर भविष्य मे कोई विवाद उत्पन्न नही हो। इस कारण प्रार्थीगण अपनी भूमि का नाप चौक कराकर ही पत्थरगढी एवं खम्बे गाढकर तारबंदी करवाना चाहते है। इस संबंध मे प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण 2 लगायत 7 से कहा तो उन्होने कहा कि आप ही नाप करवा लो हमे तो कोई ऐतराज नही है व प्रार्थीगण के रूप मे पक्षकार बनने से मना कर दिया। इसलिए सहखातेदार एवं उचित पक्षकार होने से इस प्रार्थना पत्र मे अप्रार्थीग्ण के रूप मे पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नक्शा आदि पेश कर धारा 111, 128 एलआर एक्ट के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

हमनें प्रार्थना पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज का अवलोकन किया तथा पाया कि पत्रावली मे निहित खसरा नम्बर 422, 424, 426 का प्रार्थीगण द्वारा सीमाज्ञान मौका पर्चा प्रति पेश की हुई है तथा पत्रावली मे कार्यवाही चलते लगभग 2 वर्ष का समय होने वाला है जबकि यह एक समरी ट्रायल प्रार्थना पत्र है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नैनवॉ को इस आशय के साथ आदेशित किया जाता हैं कि **ग्राम सहण के खसरा नम्बर 1644/537, 422, 424, 426, 453, 555 एवं 427 पर सभी सहखातेदारान का कब्जा पाया जाता है तथा साथ ही यदि समस्त खसरा नम्बरान 1644/537, 422, 424, 426, 453, 555, 427 पर समस्त खातेदारों की पत्थरगढी करवाने जाने बावत् सहमति हो तो** नायब तहसीलदार अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी की टीम गठित कर व आवश्यक हो तो पुलिस इमदाद प्राप्त कर नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा कराने पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नैनवॉ